हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 04/2020 अनवान नारायणसिंह बनाम सुरताराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
25/12/20	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटित तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा पोटलियासर पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 378/145 रकबा 76.13 बीघा भूमि तथा खसरा संख्या 380/145 रकबा 53.10 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पोटलियासर पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 378/145 रकबा 76.13 बीघा भूमि तथा खसरा संख्या 380/145 रकबा 53.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्यवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल—सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:03:22 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

रीडर/2020/ 2920 दिनांक – 30-12-20

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थीगण

नारायणसिंह 2 रूपसिंह पिसरान डमलसिंह 3 ढेलकंवर पत्नी रिडमलसिंह 4 खुमाणसिंह 5 देवीसिंह पिसरान समर्थसिंह 6 सरेकंवर पत्नी समर्थसिंह 7 सुगणोकंवर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी पोटलियासर, ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाडमेर।

1 सुरताराम पुत्र सिधाराम 2 अचलाराम पुत्र प्रहलादराम 3 कालूराम पुत्र खीमाराम 4 पेमाराम पुत्र कलाराम 5 सताराम पुत्र शिरामाराम 6 देवराम पुत्र शिरामाराम 7 मुकनाराम पुत्र जगुराम 8 हीरामाराम 9 वगाराम पिसरान दानाराम जाति जाट 10 सवाराम पुत्र मुकनाराम 11 दीपाराम 12 हरचन्दराम पिसरान पुरखाराम जाति देवासी निवासी पोटलियासर ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 04/2020 दिनांक– 24/12/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पोटलियासर पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 378/145 रकबा 76.13 बीघा भूमि तथा खसरा संख्या 380/145 रकवा 53.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2020/ 2921-2924 दिनांक– 30.12.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नारायणसिंह पुत्र रिडमलसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी पोटलियासर, ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी सुरताराम पुत्र सिधाराम वगैराह जाति जाट निवासी पोटलियासर, ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर